

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग

देहरादून : दिनांक 07 फरवरी, 2018

विषय : वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजस्व लेखा के अधिष्ठान मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 4244/प्र0अ0/बजट/सी-2डी अधि0 (पुनर्विनियोग) दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजस्व पक्ष के अधिष्ठान मद में लेखानुदान/मूल बजट/अनुपूरक बजट में प्राविधानित कुल धनराशि रू0 33392.89 लाख के सापेक्ष रू0 33392.89 लाख की धनराशि वित्त विभाग के दिशा निर्देशों के क्रम में आपके निर्वतन पर रखी गयी है, में से अनुदान संख्या-20 के लेखाशीर्षक- 2700-00-001-04 कार्यकारी (अधिष्ठान)-00-01- वेतन मद में आपके द्वारा सूचित की गयी बचत की धनराशि रू0 613.00 लाख को संलग्न विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत बचत से पुनर्विनियोग कर राजस्व लेखा के 03- निदेशन एवं 04- कार्यकारी अधिष्ठान की संगत मदों में वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय किये जाने की निम्न शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i) आहरण एवं व्यय किशतों में वास्तविक व्यय आवश्यकता आधार पर ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा।
 - (ii) उक्त स्वीकृति के अधीन आहरण एवं व्यय से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 सुसंगत प्राविधानों, वित्तीय नियमों एवं मितव्ययता सम्बन्धी समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।
 - (iii) स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन कदापि न किया जाये। प्राविधानों एवं नियमों का अनुपालन न करने तथा स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन करने पर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
 - (iv) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय की सूचना निर्धारित प्रपत्रों पर वित्त विभाग, महालेखाकार एवं शासन को ससमय उपलब्ध करायी जाय।
 - (v) किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 (लेखानियम आय-व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
 - (vi) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-490/XXVII(1)/2016, दि0-31 मार्च, 2016 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय
2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-20 के अन्तर्गत संलग्नक-1 में वर्णित शीर्षको/उपशीर्षकों की प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 676/XXVII(2)/2018, दि०-05 फरवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,
(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 05 / II-2017-03(09)/2015तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. वित्त विभाग (वित्त अनुभाग-2), उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

संलग्न : यथोक्त।

आज्ञा से,
(देवेन्द्र पालीवाल)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
(वित्तीय वर्ष 2016-2017)
बी.एम. - 09

अनुदान संख्या - 020
पुनर्विनियोग स्वीकृति आदेश संख्या -

अलोटमेंट आईडी - R1801200204
दिनांक - 29-Jan-2018

(In Rupees)

क्रम संख्या	बजट प्राविधान तथा लेखासिर्शक (1)	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय (2)	वित्तीय वर्ष के अवधि में अनुमानित व्यय (3)	अवशेष सरप्लस समायोजित धनराशी (4)	सेखाशीर्षक विसंग धनराशी स्थानान्तरित की जाती है (5)	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -5 की कुल धनराशी (6)	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -1 में कुल धनराशी	अधिदत्ति
	2700 मुख्य सिंचाई 00 001 निदेशन तथा प्रशासन 04 कार्यकारी अधिष्ठान 00 कार्यकारी अधिष्ठान (Voted)				2700 मुख्य सिंचाई 00 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 निदेशन 00 निदेशन (Voted)			
1	01 - वेतन 2477110000	1878774877	551035123	47300000	01 - वेतन 40000000 03 - महंगाई भत्ता 1500000 05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय 650000 08 - कार्यालय व्यय 500000 11 - लेखन सामग्री और फार्मों की खपत 350000 12 - कार्यालय फर्निचर एवं उपकरण 800000 13 - टेलीफोन पर व्यय 200000 15 - यात्रियों का अंतराक्षण और पेट्रोल 1500000 18 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं 1000000 46 - कंप्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का 500000 47 - कंप्यूटर अंतराक्षण/सामग्रियों स्टे 300000 योग 47300000	374185000	2429810000	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 133,134 में उल्लिखित प्राविधानों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

पुनर्विनियोग किये जाने हेतु प्रपत्र 09 की मूल प्रति वित्तीय डाटा सेप्टर 23- लक्ष्मी रोड डालनवाला, देहरादून को उपलब्ध करायी

सेवा में,

निदेशक कोषागार
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

हस्ताक्षर

५६०

नाम व पदनाम— एल0एन0पन्त, अपर सचिव
वित्त विभाग।

संख्या 05/11-2017-03(09)/2015 दिनांक 7 जनवरी, 2018

निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रति प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (ए एंड ई), उत्तराखण्ड।
- 2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
- 3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग।
- 4- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी

हस्ताक्षर

नाम व पदनाम— देवेन्द्र पालीवाल, अपर सचिव
सिंचाई विभाग।

उत्तराखण्ड शासन
(वित्तीय वर्ष 2016-2017)
बी.एम. - 09

अनुदान संख्या - 020
पुनर्विनियोग स्वीकृति आदेश संख्या - ..

अनोटमेंट आईडी - R1801200206
दिनांक - 29-Jan-2018

(In Rupees)

क्रम संख्या	बजट प्राविधान तथा लेखासिर्शक (1)	मानक प्रवर्तक अध्यावधिक न्यय (2)	वित्तीय वर्ष के अवधि में अनुमानित न्यय (3)	अवशेष सरप्लस सभायोजित धनराशी (4)	लेखाशीर्षक विषय में धनराशी स्थानान्तरित की जाती है (5)	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -5 की कुल धनराशी (6)	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -1 में कुल धनराशी	अधियुक्ति
	2700 मुख्य सिंचाई 00 001 निदेशन तथा प्रशासन 04 कार्यकारी अधिष्ठान 00 कार्यकारी अधिष्ठान (Voted)				2700 मुख्य सिंचाई 00 001 निदेशन तथा प्रशासन 04 कार्यकारी अधिष्ठान 00 कार्यकारी अधिष्ठान (Voted)			
1	01 - वेतन 2429610000	1878774877	537035123	14000000	03 - पहंगाई भूना 3500000 05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय 500000 09 - विद्युत देय 4500000 12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण 500000 13 - टेलीफोन पर व्यय 200000 15 - गाड़ियों का अवरक्षण और पेट्रोल 600000 27 - चिकित्सा व्यय प्रतिभूति 2000000 44 - प्रशिक्षण व्यय 1500000 48 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का 700000 योग 14000000	152114000	2415810000	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 133,134 में उल्लिखित प्राविधानों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

पुनर्विनियोग किये जाने हेतु प्रपत्र 09 की मूल प्रति वित्तीय डाटा सेक्टर 23- लक्ष्मी रोड डालनवाला, देहरादून को उपलब्ध करायी

सेवा में,

निदेशक कोषागार
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

हस्ताक्षर

नाम व पदनाम— एल0एन0पन्त, अपर सचिव
वित्त विभाग।

संख्या 05 / 11-2017-03(09) / 2015 दिनांक 7 जनवरी, 2018

निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रति प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (ए एंड ई), उत्तराखण्ड।
- 2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
- 3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग।
- 4- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी

हस्ताक्षर

नाम व पदनाम— देवेन्द्र पालीवाल, अपर सचिव
सिंचाई विभाग।